भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 232
10.08.2026 को उत्तर देने के लिए

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत वार्षिक आवंटन में वृद्धि

232. श्री नीरज डांगीः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत प्रति सदस्य वार्षिक आवंटन राशि में अंतिम बार संशोधन किस वर्ष किया गया था;

(ख) क्या सरकार द्वारा वर्तमान में प्रति सदस्य ₹5 करोड़ की आवंटन राशि की पर्याप्तता का कोई आकलन किया गया है;

(ग) क्या सरकार को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत वार्षिक आवंटन राशि में वृद्धि किए जाने संबंधी संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त आवंटन राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (च): एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

श्री नीरज डांगी द्वारा दिनांक 10.08.2026 को "संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत वार्षिक आवंटन में वृद्धि" विषय पर पुछे गए राज्य सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 232 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत प्रत्येक सांसद की वार्षिक पात्रता में अंतिम बार संशोधन वित्तीय वर्ष 2011-12 में किया गया था।

(ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक संसद सदस्य को लोगों की स्थानीय रूप से अनुभव की जाने वाली आवश्यकताओं के आधार पर विकास कार्यों की संस्तुति करने में सक्षम बनाना है, जिसमें व्यापक सार्वजनिक हित के लिए सुदृढ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर बल दिया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत अनुमत कार्य सार्वजनिक और सामुदायिक अवसंरचना, सार्वजनिक सुविधाओं, सुरक्षा और संरक्षा, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पेयजल, और स्वच्छता सहित कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं। यद्यपि केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभाग इन क्षेत्रों में क्षेत्र-विशिष्ट योजनाओं का कार्यान्वयन करते हैं, एमपीलैड्स का उद्देश्य मौजूदा योजनाओं को बदलने या दोहराने के बजाय स्थानीय रूप से पहचानी गई विकास आवश्यकताओं को पूरा करना, अंतिम छोर तक संपर्क प्रदान करना और व्यवहार्यता दूरी को कम करना है।

इसके अतिरिक्त, उभरती विकास आवश्यकताओं के अनुरूप योजना के तहत कार्यों के दायरे और प्रभाव को बढ़ाने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमपीलैड्स को जारी रखने का अनुमोदन देते हुए, अधिक संख्या में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ-साथ स्थानीय निकायों की परियोजनाओं के साथ एमपीलैड्स के अभिसरण को भी अनुमोदन दिया हैं। यह निर्णय मंत्रालय द्वारा 2025 में आयोजित योजना के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन की संस्तुति के आधार पर लिया गया है, जिसका उद्देश्य एकत्रित निधि के माध्यम से बड़ी और अधिक प्रभावी परियोजनाओं के निष्पादन को सुविधाजनक बनाना है, जिससे योजना की समग्र प्रभावशीलता में वृद्धि होती है और संसद सदस्यों को बिना दोहराव के अधिक बड़े पैमाने पर और व्यापक सार्वजनिक लाभ के कार्यों की संस्तुति करने में सक्षम बनाता है।

(ग) और (घ) जी, हाँ महोदय। एमपीलैड्स निधि की वार्षिक पात्रता में संशोधन के लिए संसद सदस्यों से सुझाव प्राप्त हुए। मंत्रालय को 17 सांसदों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें नवंबर, 2021 में उसके पूर्व विस्तार के बाद से योजना के वार्षिक आवंटन में वृद्धि की मांग की गई हैं।

(ङ) और (च) केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 05.05.2026 की बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) को जारी रखने का अनुमोदन दिया गया, जो 16वें वित्त आयोग की अवधि के अनुरूप है, जिसमें प्रति संसद सदस्य रु. 5.00 करोड़ की वार्षिक पात्रता है।

वर्तमान में, एमपीलैड्स के वार्षिक आवंटन को संशोधित करने या बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****